कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी,
जिला–कोरबा(छत्तीसगढ़)

दूरभाष : 07759–222886, 224255

ई–मेलः korba.cg@gov.in

//आदेश//

क्रमांक 6301 /सां.लि./ 2020

कोरबा, दिनांक 28/04/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5216/सां.लि./2020 कोरबा दिनांक 19.03.2020, आदेश क./5236/सां.लि./2020 दिनांक 21.03.2020, आदेश क./5255/सां.लि./2020 दिनांक 22.03.2020, सहपठित संशोधित आदेश क्रमांक/5257/सां.लि./दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक/5313/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 24.03.2020, आदेश क्रमांक/5498/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक/6006/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 14.04.2020 एवं आदेश क्रमांक/6262/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 25.04.2020 के द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू की गई थी।

जिला कोरबा अंतर्गत कटघोरा में कोरोना पॉजीटिव मिलने के कारण कटघोरा शहर को पूर्णतया लॉकडाउन किया गया है। अतः वर्तमान में जिला कोरबा में COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये गये है।

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/5313/सां.लि./2020 कोरबा दिनांक 24.03.2020 एवं आदेश क्रमांक/5343/सां.लि./2020 कोरबा दिनांक 25.03.2020, आदेश क्रमांक/5375/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 28.03.2020, आदेश क्रमांक/5498/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक/5662/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 05.04.2020, आदेश क्रमांक/5796/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 09.04.2020, आदेश क्रमांक/5954/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 13.04.2020 एवं आदेश क्रमांक/6262/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 25.04.2020 के कंडिका ''ब'' में वर्णित सूची में 01 से 65 तक कार्यालय/प्रतिष्ठान को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है।

उक्त आदेशों के कंडिका ''ब'' वर्णित सूची में 01 से 65 तक कार्यालय/प्रतिष्ठान को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। उक्त कंडिका ''ब'' वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में कोविड–19 के शर्तों के पालन करने की स्थिति होने पर पूर्णतः तालाबंदी (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है :–

66. **नगर पालिका परिषद कटघोरा को छोड़कर नगर निगम कोरबा एवं शेष नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र में स्थित गिट्टी, सिमेंट, छड़, कंट्रक्शन से संबंधित दुकानें, हार्डवेयर एवं आटो–पार्टस की दुकानों का संचालन प्रत्येक गुरूवार एवं रविवार को समय प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक छूट प्रदान की जाती है । साथ ही समस्त दुकाने मंगलवार को पूर्णतः बंद रहेंगी।**
67. **कोरबा जिला सीमा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकान/प्रतिष्ठानों (भारत सरकार के गाईडलाइन में दिये गये अनुमेय दुकान/प्रतिष्ठान) के संचालन हेतु समय प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक छूट प्रदान की जाती है ।**

उक्तानुसार दुकान संचालन के लिए संचालक कोविड–19 के प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा संचालक, स्टॉफ एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ0क्रमांक 6302 /सां.लि./ 2020

कोरबा, दिनांक 28/04/2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा/कटघोरा/पोड़ीउपरोडा, जिला–कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. सर्व ....जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)